मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में मा० राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा वाद संख्या–21/2021 में पारित आदेश के अनुपालन में टी.एच.डी.सी. द्वारा निर्माणाधीन विष्णुगाड पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना (444 मेगावाट) की पर्यावरणीय शर्तों एवं प्रश्ननात्मक उपायों के अनुपालन एवं निगरानी हेतु गठित निगरानी सैल की दिनांक 28.06.2024 को सम्पन्न द्वितीय बैठक का कार्यवृत्तः–

उपस्थितिः–

1. श्री आनन्द स्वरूप, अपर सचिव, आपदा प्रबन्धन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. डॉ.मधुकर पराग धकाते, सदस्य सचिव, उ.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
3. डॉ.के.मण्डल, संयुक्त निदेशक, MoEF&CC, भारत सरकार।
4. श्री आशुतोष शुक्ल, उप सचिव, पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. श्री विपिन थपलियाल, डी.जी.एम., टी०एच०डी०सी० इंडिया लि0, ऋषिकेश।
6. श्री जितेन्द्र सिंह बिष्ट, ए.जी.एम., टी०एच०डी०सी० इंडिया लि0, ऋषिकेश।
7. श्री रणवीर सिंह, परियोजना निदेशक, नमामि गंगे, उत्तराखण्ड।
8. श्री पी.के.नैथानी, ओ.एस.डी., टी०एच०डी०सी० इंडिया लि0, ऋषिकेश।
9. डॉ.आर.एस.पतियाल, प्रमुख वैज्ञानिक, कोल्डवाटर फिसरीज़ रिसर्च, ICSR, भीमताल।
10. श्री आयुष वालिया, उप प्रबंधक, टी०एच०डी०सी० इंडिया लि0, ऋषिकेश।
11. डॉ.राजेन्द्र सिंह, वैज्ञानिक अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

V.C. के माध्यम से उपस्थितिः–

1. जिलाधिकारी, चमोली, उत्तराखण्ड।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, चमोली वन प्रभाग, चमोली।

साम एवं पर्या. कार्यालय, टीएचडीसी आईएल, ऋषिकेश
पत्र प्राप्ति सं. 215 दिनांक 2/8/24

सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित समस्त प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए बैठक का शुभारम्भ किया गया।

2– बैठक में अध्यक्ष महोदय को मा० राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश एवं उसके अनुपालन में गठित निगरानी सैल के संबंध में अवगत कराया गया। निगरानी समिति के सदस्य/सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अध्यक्ष महोदया को विष्णुगाड़– पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना के पर्यावरण प्रभाव आंकलन के संबंध में अवगत कराते हुए उल्लिखित किया गया कि प्रश्नगत जल विद्युत परियोजना को वर्ष 2007 में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त थी जिसे समय–समय पर अग्रेतर 21.08.2021 तक विस्तारित की गई थी। परियोजना प्रबंधक द्वारा पुनः पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया जिसे पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार नये आवेदन के रूप में विचार करते

हुए दिनांक 26.08.2021 को पर्यावरणीय स्वीकृति निर्गत की गयी। श्री भारत झुनझुनवाला द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु वांछित लोक सुनवाई के बिना पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध मा0 एन0जी0टी0 में अपील की गयी थी कि उक्त परियोजना में 50 प्रतिशत कार्य पूर्ण नहीं हुआ था। अतः लोक सुनवाई आयोजित की जानी आवश्यक थी तथा मात्र Rapid EIA के आधार पर पर्यावरणीय स्वीकृति निर्गत की गयी तथा परियोजना के निर्माण से भू–कटाव, ब्लास्टिंग, जल गुणवत्ता, प्राकृतिक सुन्दरता एवं जलीय जैव विविधता के ह्रास आदि पर विचार नहीं किया गया। पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति निर्गत करने की प्रक्रिया में पूर्व की EIA/EMP, Fresh Environmental Data with Rapid EIA आदि पर विचार किया गया।

3– मा0 एन0जी0टी0 द्वारा विषयगत प्रकरण में EMP की लागत को कुल परियोजना लागत के 10 प्रतिशत तक बढ़ाये जाने तथा अनुश्रवण हेतु मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड सरकार की अध्यक्षता में Monitoring Cell का गठन किया गया है। Monitoring Committee की बैठक दिनांक 19.01.2023 के अनुपालन में विषयगत जल विद्युत परियोजना में पर्यावरणीय प्रबंधन सम्बन्धी कार्यों के अनुश्रवण हेतु GBP-National Institute of Himalayan Environment, Kosi, ICAR-Directorate of Cold Water Fishers Research, Bheemtal, MoEF&CC, Regional Office, Dehradun, Uttarakhand Peyjal Nigam & Uttarakhand Pollution Control Board के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण आख्या के अनुसार परियोजना से जनित मक के निस्तारण हेतु समुचित व्यवस्था स्थापित की गयी है तथा निर्धारित स्थानों पर ही मक का निस्तारण किया जा रहा है। मक प्रबंधन हेतु स्थानीय प्रजाति के पेड़–पौधों तथा गैबीन वॉल एवं gio-grid reinforcement का प्रयोग किया जा रहा है। द्वारा मक प्रबंधन किया जा रहा है।

4– टी0एच0डी0सी0इंडिया लि0 के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में Geological Survey of India द्वारा परियोजना स्थल के 10 किमी परिक्षेत्र में आपदा एवं परियोजना पर उक्त के प्रभावों सम्बन्धी अध्ययन किया गया। टी0एच0डी0सी0 इंडिया लि0 द्वारा अवगत कराया गया कि परियोजना हेतु National Geophysical Research Institute (NGRI) को आबद्ध किया गया है। CSR क्रियाकलापों के अन्तर्गत सामुदायिक विकास एवं स्थानीय क्षेत्र विकास की गतिविधियों जैसे आंतरिक रास्तों को विकास, जल आपूर्ति योजना, पंचायत घर, बरात घर, सामुदायिक भवन, पहाड़ी ढलान संरक्षण कार्य, शिक्षण सहायता, शौचालय निर्माण, खेल एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा, आजीविका सृजन गतिविधियां, वृक्षारोपण आदि गतिविधियां की जाती हैं।

5– बांध की सुरक्षा के सम्बन्ध में टी0एच0डी0सी0 इंडिया लि0 द्वारा अवगत कराया गया कि भूकंम्पीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र में सुरक्षा के आवश्यक उपाय

सुनिश्चित किये जा रहे हैं तथा बांध निर्माण में नवीनतम तकनीकी का प्रयोग किया जा रहा है। टी0एच0डी0सी0 इंडिया लि0 के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि मई 2024 तक परियोजना की भौतिक प्रगति 67.70% तथा वित्तीय प्रगति 96.63% है तथा परियोजना में विद्युत उत्पादन जून 2026 में प्रस्तावित है।

6– टी0एच0डी0सी0 इंडिया लि0 द्वारा अवगत कराया गया कि EMP की लागत को कुल परियोजना लागत के 10% तक बढ़ाये जाने सम्बन्धी मा0 एन0जी0टी0 के आदेश के विरूद्ध मा0 सर्वोच्च न्यायालय में अपील दाखिल की गयी है। अपील मा0 सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

7– मुख्य सचिव महोदया द्वारा जिलाधिकारी, चमोली से वस्तुस्थिति के सम्बन्ध में जानकारी चाही गयी। जिलाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि जिलास्तर पर गठित संयुक्त कमेटी द्वारा निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण आख्यानुसार पर्यावरण प्रबंधन में संतोषजनक कार्य किया गया है। जिलाधिकारी, चमोली द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि टी0एच0डी0सी0 इंडिया प्रा0 लि0 द्वारा परियोजना से जनित मक से राष्ट्रीय राजमार्ग में पागल नाला में ट्रीटमेंट सम्बन्धी कार्य किये गये हैं तथा उक्त मक की मात्रा पर खनन रॉयटी के सम्बन्ध में शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। प्रकरण पर खनन विभाग के स्तर से निर्णय अपेक्षित है।

8– बैठक में उपस्थित अधिकारियों के साथ गहन विचार–विमर्शोपरान्त अध्यक्ष महोदया द्वारा संबंधितों को निम्नानुसार निर्देश दिये गये :–

A. निर्माणाधीन विष्णुगाड पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना (444 मेगावाट) का GSI द्वारा भू–गर्भीय निरीक्षण कराया जाय ताकि सुरक्षा सम्बन्धी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किये जायें।
B. निर्माणधीन जल विद्युत परियोजना क्षेत्र में ईको–सिस्टम को पुनर्जिवित हेतु किये जा रहे कार्यों की Third Party Monitoring की जाये। इसके अतिरिक्त उक्त परियोजना की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्र विशेषज्ञों को नामित किया जाय।
C. परियोजना हेतु तैयार CAT Plan का पूर्ण विवरण तथा अद्यतन कृत कार्यवाही का विवरण राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित किया जाये। CAT Plan के अन्तर्गत किये गये कार्यों का सत्यापन किया जाये।
D. टी0एच0डी0सी0 इंडिया लि0, को विषगत परियोजना हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करें एवं अनुपालन आख्या नियमित रूप से प्रेषित करें।
E. Uttarakhand Landslide Mitigation & Management Centre द्वारा परियोजना क्षेत्र में Slope Stabilization सम्बन्धी अध्ययन की कार्यवाही की जाये।
F. नगर पालिका परिषद/पंचायत के माध्यम से किये जा रहे ठोस अपशिष्ट को

अंतिम रूप से निस्तारण तक की निगरानी सुनिश्चित की जाये।

G. पर्यावरण प्रबंध योजना एवं कैचमेंट क्षेत्र उपचार कार्यों की स्वतंत्र विशेषज्ञ संस्थाओं द्वारा की गई निगरानी, परियोजना के पर्यावरणीय कार्यों की प्रमुख वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित बहुविशेषज्ञीय समिति तथा निर्माण कार्यों का विशेषज्ञ संस्थाओं द्वारा अनुमोदित परियोजना रिपोर्ट की अद्यावधिक सूचना आगामी बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

अन्त में सभी प्रतिभागियों का धन्यवाद ज्ञापित कर बैठक का समापन किया गया।

Signed by Radha Raturi
Date: 25-07-2024 11:44:55

(राधा रतूड़ी)
मुख्य सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
पर्यावरण, संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग
संख्या– 227407/ XXXVIII–1–2024
देहरादूनः दिनांकः– 25 जुलाई, 2024

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. अपर सचिव, आपदा प्रबन्धन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
3. डसंयुक्त निदेशक, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार।
4. डी॰जी॰एम॰, टी०एच०डी०सी० इंडिया लि0, ऋषिकेश।
5. ए॰जी॰एम॰, टी०एच०डी०सी० इंडिया लि0, ऋषिकेश।
6. परियोजना निदेशक, नमामि गंगे, उत्तराखण्ड।
7. प्रमुख वैज्ञानिक, कोल्डवाटर फिसरीज़ रिसर्च, ICSR, भीमताल।
8. उप प्रबंधक, टी०एच०डी०सी० इंडिया लि0, ऋषिकेश।
9. डॉ॰राजेन्द्र सिंह, वैज्ञानिक अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(कहकशां नसीम)
अपर सचिव।